भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2745

उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024 (बुधवार)

20 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रश्न

सिक्किम में अवसंरचनात्मक विकास के लिए आवंटित धनराशि

2745. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गत दस वर्षों के दौरान सिक्किम में अवसंरचनात्मक विकास के लिए आवंटित की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) उद्यमशीलता के उद्यमों के लिए कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) इस क्षेत्र में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मूलभूत न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) हेतु व्यय किए जा रहे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के 10% के अलावा पिछले 10 वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत सिक्किम में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुल 1,506.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत करता है जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र के विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 54 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया है।

(ग) शिक्षा मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए 39,827.6 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसी अवधि में मंत्रालय की स्कीमों के तहत शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए कुल स्वीकृत निधियों के 10.32% (कुल 14,713.93 करोड़ रुपये में से 1,519.01 करोड़ रुपये) की स्वीकृति भी दी है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एनईसी की स्कीमों के तहत उद्यमशीलता के उद्यमों से संबंधित गतिविधियों के लिए 65.65 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके अलावा, 2.99 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ "पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्यमिता शिखर सम्मेलन पूर्व (एनईआरईएस) 1.0" के तहत कुल 150 उद्यमियों की सहायता की गई है।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान केंद्रों के लिए एनईसी की स्कीमों के तहत 27.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से दो स्कीमों अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुधार के लिए निधि (एफआईएसटी) कार्यक्रम और विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का संवर्धन (पीयूआरएसई) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिनका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं का उन्नयन करना है।

*****